भाग–II

अध्याय–III

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

परिचय

3.1 31 मार्च 2019 को 99 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। ये राज्य पीएसयूज 1954–55 एवं 2018–19 की अवधि के दौरान निगमित हुये थे एवं इनमें 93 सरकारी कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम सम्मिलित थे यथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम। आगे इन सरकारी कम्पनियों में 43 अकार्यरत कम्पनियां तथा अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली 16 सहायक कम्पनियां[1] सम्मिलित थीं। वर्ष 2018–19 के दौरान सात कम्पनियाँ[2] बढ़ाई गयीं।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त इन पीएसयूज की प्रकृति **तालिका 3.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.1: उत्तर प्रदेश में पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	इस अध्याय में शामिल किए गए पीएसयूज की संख्या				इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज की संख्या
		2018–19 तक के लेखें	तक के लेखें		योग	
			2017–18	2016–17		
सरकारी कम्पनियां	82	3	7	5	15	67
सांविधिक निगम	6	1	2	2	5	1
कुल कम्पनियां/निगम	**88**	**4**	**9**	**7**	**20**	**68**
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	11	3	-	1	4	7
योग	**99**	**7**	**9**	**8**	**24**	**75**

24 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया गया है जैसा कि ***परिशिष्ट–3.1*** में उल्लिखित है। इसमें 75 पीएसयूज (सरकार नियंत्रित सात अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया हैं या वे अकार्यरत/परिसमापन में हैं या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या नियत नहीं थे जैसा कि ***परिशिष्ट–3.2*** में उल्लिखित है।

राज्य सरकार समय–समय पर पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 99 राज्य पीएसयूज में से, राज्य सरकार ने 70 राज्य पीएसयूज (68 पीएसयूज में पूँजी एवं दो पीएसयूज[3] में केवल ऋण) में धनराशि का निवेश किया है। राज्य सरकार ने 31 पीएसयूज में सीधे कोई भी पूँजी निवेश नहीं किया है, जिसमें 15 सहायक कम्पनियां शामिल हैं, जिनमें पूँजी का निवेश उनकी स्वामित्व धारक कम्पनियों[4] के माध्यम से किया गया है, तीन कम्पनियां[5]

---

[1] *परिशिष्ट–3.1* की क्रम संख्या 14 एवं 15 तथा *परिशिष्ट–3.2* की क्रम संख्या 16, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 67 एवं 69 से 74।

[2] (i) अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (ii) उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड, (iii) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, (iv) कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (v) बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (vi) प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं (vii) वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[3] उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड।

[4] उत्तर प्रदेश सरकार ने छः स्वामित्व धारक कम्पनियों (*परिशिष्ट–3.1* की क्रम संख्या 16 तथा *परिशिष्ट–3.2* की क्रम संख्या 1, 12, 17, 34 एवं 41) को उनकी सहायक कम्पनियों के लिए पूँजी दी।

[5] *परिशिष्ट–3.1* की क्रम संख्या 3 एवं *परिशिष्ट–3.2* की क्रम संख्या 63 एवं 75।

ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक सरकारी कम्पनियों ने संयुक्त रूप से पूँजी का निवेश किया है, आठ स्मार्ट सिटी कम्पनियों[6] एवं दो कम्पनियों[7] जिनमें पूँजी का निवेश सरकारी इकाईयों और सहकारी संस्थानों ने किया था तथा तीन सांविधिक निगम[8] जिनमें राज्य सरकार की कोई पूँजी नहीं थी।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

3.2 इस अध्याय में शामिल किए गए 24 पीएसयूज के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाली चार वर्षों की अवधि में इन 24 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर[9]	7,316	8,584	9,453	9,617
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	17.33	10.13	1.73
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी	11,37,210	12,48,374	13,76,324	15,42,432
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	9.78	10.25	12.07
टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.64	0.69	0.69	0.62

स्रोतः पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसडीपी के दिनांक 01 अगस्त 2019 के आँकड़ों के आधार पर संकलित।

2016–17 से 2018–19 की अवधि में इन 24 पीएसयूज के टर्नओवर में बढ़त की प्रवृति रही है। 2016–19 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 1.73 प्रतिशत एवं 17.33 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में वृद्धि 9.78 प्रतिशत एवं 12.07 प्रतिशत के मध्य रही। चक्रवृद्धित वार्षिक विकास विभिन्न समय अवधि के दौरान विकास दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.69 प्रतिशत के चक्रवृद्धित वार्षिक विकास[10] के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.54 प्रतिशत का कमतर चक्रवृद्धित वार्षिक विकास दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिसेस्दारी 2015–16 में 0.64 प्रतिशत से सीमान्त रूप से घटकर 2018–19 में 0.62 प्रतिशत हो गई।

राज्य के पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

3.3 31 मार्च 2019 तक, इस अध्याय में सम्मिलित 24 राज्य पीएसयूज में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण ***परिशिष्ट–3.3*** में है।

इस अध्याय में शामिल पीएसयूज निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते हैं:

---

6 *परिशिष्ट–3.1* की क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 तथा *परिशिष्ट–3.2* की क्रम संख्या 27 से 31।

7 उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड एवं नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड।

8 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम एवं उत्तर प्रदेश जल निगम।

9 31 दिसम्बर 2019 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

10 चक्रवृद्धित वार्षिक विकास दर [{(2018–19 की राशि/2015–16 की राशि)^(1/3 वर्ष)}-1]*100।

(i) पीएसयूज जो खुली बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकारी पीएसयूज): उत्तर प्रदेश में, 24 क्रियाशील पीएसयूज में से 11 पीएसयूज[11] इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके पास एकाधिकारी/अल्पाधिकारी प्रकृति का परिचालन है यानी इनके परिचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है।

(ii) निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज: इस श्रेणी में वे पीएसयूज सम्मिलित हैं जिनकी प्रमुख आय निश्चित आय स्रोतों से आती है जैसे सरकार द्वारा दिये गये सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि। 11 पीएसयूज[12] इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(iii) प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयूज: इस श्रेणी में दो पीएसयूज[13] सम्मिलित हैं, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं।

3.4 31 मार्च 2019 को इन राज्य पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	पीएसयूज की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)								
		पूँजी				दीर्घावधि ऋण				महायोग
		जीओ यूपी	जीओ आई	अन्य[14]	योग	जीओयूपी	जीओ आई	अन्य	योग	
इस अध्याय में सम्मिलित में किये गये पीएसयूज										
एकाधिकारी क्षेत्र वाले पीएसयूज	11	1,911.74	1,946.63	1,098.80	4,957.17	1,392.79	412.00	4,632.07	6,436.86	11,394.03
निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज	11	101.77	1.00	7.20	109.97	117.48	0.00	9.41	126.89	236.86
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयूज	2	203.82	0.00	25.00	228.82	1263.75	4.10	0.00	1,267.85	1,496.67
इस अध्याय में शामिल पीएसयूज का योग	**24**	**2,217.33**	**1,947.63**	**1,131.00**	**5,295.96**	**2,774.02**	**416.10**	**4,641.48**	**7,831.60**	**13,127.56**
इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज	75	2,597.98	319.58	400.48	3,318.04	1,640.41	1.10	4,461.95	6,103.46	9,421.50
महायोग	**99**	**4,815.31**	**2,267.21**	**1,531.48**	**8,614.00**	**4,414.43**	**417.20**	**9,103.43**	**13,935.06**	**22,549.06**

स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी/ऋण के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

इस अध्याय में शामिल किए गए 24 पीएसयूज में 31 मार्च 2019 तक, कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का अंकित मूल्य[15] ₹ 13,127.56 करोड़ था। निवेश में पूँजी 40.34 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 59.66 प्रतिशत सम्मलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 35.42 प्रतिशत (₹ 2,774.02 करोड़) थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 64.58 प्रतिशत (₹ 5,057.58 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

निवेश 72.97 प्रतिशत से बढ़कर 2016–17 के ₹ 7,589.30 करोड़ से 2018–19 में ₹ 13,127.56 करोड़ हो गया। निवेश में बढ़ोत्तरी मुख्यतः 2016–17 से 2018–19 के दौरान पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में क्रमशः ₹ 2,185.15 करोड़ एव ₹ 3,353.11 करोड़ की बढ़ोत्तरी की वजह से थी।

[11] *परिशिष्ट–3.1* का क्रम संख्या 1 से 11 तक।
[12] *परिशिष्ट–3.1* का क्रम संख्या 12 से 22 तक।
[13] *परिशिष्ट–3.1* का क्रम संख्या 23 एवं 24 तक।
[14] अन्य में स्वामित्व धारक कम्पनी, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि द्वारा निवेश शामिल है।
[15] पूँजी शेयरों के प्रति अभिदाताओं द्वारा भुगतान की गयी शेयरों की मूल लागत।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण

3.5 वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना या निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

3.6 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश **तालिका 3.4** में दिया गया हैं।

तालिका 3.4: वर्ष के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[16]	2016-17		2017-18		2018-19	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की सहायता (i)	5	506.71	3	136.26	3	55.60
दिये गये ऋण (ii)	10	736.42	6	372.40	8	990.49
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	11	2,446.44	10	809.72	15	1,721.09
कुल सहायता (i+ii+iii)[17]	**20**	**3,689.57**	**18**	**1,318.38**	**25**	**2,767.18**
ऋण अपलिखित/अनुदान में परिवर्तित	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	1	6.83	-	-	-	-
बकाया प्रत्याभूतियाँ	1	52.65	4	154.62	6	3,518.37
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	-	-	-	-	-	-

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता का विवरण **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

चार्ट 3.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

(₹ करोड़ में)

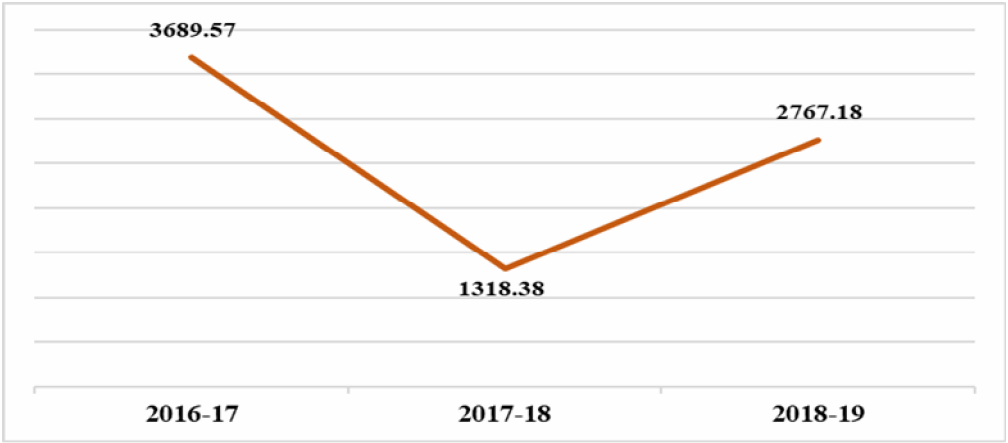

[16] यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

[17] ये आँकड़ें उन पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं जिन्होंने बजट से एक या एक से अधिक मदों में राशि प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 1,318.38 करोड़ एवं ₹ 3,689.57 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त ₹ 2,767.18 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 55.60 करोड़, ₹ 990.49 करोड़ एवं ₹ 1,721.09 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 1,721.09 करोड़ के अनुदान में से ₹ 912.92 करोड़ परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रदान किया गया था।

पीएसयूज को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, जीओयूपी प्रत्याभूति देती है, जिसके लिए प्रत्याभूति कमीशन लेती है जो कि जीओयूपी ने ऋणी के अनुसार 0.25 प्रतिशत से 01 प्रतिशत तक तय किया है (15 सितंबर 2000)। 2018–19 में बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 3,518.37 करोड़ थीं। वर्ष 2018–19 के दौरान पीएसयूज द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

3.7 पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के सम्बंध में सभी राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आँकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2019 की स्थिति का उल्लेख ***परिशिष्ट–3.4*** में किया गया है तथा **तालिका 3.5** में सारांकित है।

तालिका 3.5: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

मद के सम्बंध में बकाया	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	4,648.75	5,807.25	-1,158.50
ऋण	4,412.73	3,047.30	1,365.43
प्रत्याभूतियाँ	1,138.37	664.75	473.62

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी एवं वित्त लेखाओं के आधार पर संकलित।

आँकड़ो में अन्तर गत कई वर्षों से मौजूद है।

अन्तर के समाधान हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय–समय पर उठाया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम, दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (***परिशिष्ट–3.4*** के क्रमांक 5, 11, 17 एवं 19) में मुख्य रूप से अन्तर पाया गया।

इसलिए, लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि राज्य सरकार और सम्बंधित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.8 कुल 99 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 56 कार्यरत पीएसयूज यथा 50 सरकारी कम्पनियां एवं छः सांविधिक निगम एवं 43 अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2019 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत थे। लेखाओं की तैयारी के लिए राज्य पीएसयूज द्वारा समय सीमा के अनुपालन की स्थिति निम्नवत दर्शायी गयी है।

राज्य पीएसयूज द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

3.8.1 सभी पीएसयूज द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत किए जाने थे। हालाँकि, 50 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल छः सरकारी कम्पनियों[18] (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) ने वर्ष 2018–19 के लिए अपने लेखे सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2019 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 44 कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। छः सांविधिक निगमों में से चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। सभी छः सांविधिक निगमों में से केवल एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) ने वर्ष 2018–19 के लिए लेखे 31 दिसंबर 2019 तक प्रस्तुत किए।

31 दिसंबर 2019 को पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण		सरकारी कम्पनियां / सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां / सांविधिक निगम			
		सरकारी कम्पनियां	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	सांविधिक निगम	योग
31.03.2019 को सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में कुल पीएसयूज की संख्या		82	11	6	99
घटायाः नए पीएसयूज जिनके 2018–19 के लेखे नियत नहीं थे		-	-	-	-
घटायाः पीएसयूज जो परिसमापन के अन्तर्गत हैं जिनके लेखे 2018–19 के लिए नियत नहीं थे		11	01	-	12
2018–19 के नियत लेखाओं के लिए पीएसयूज की संख्या		71	10	6	87
31 दिसंबर 2019 तक वर्ष 2018–19 के लेखों को सीएजी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने वाले पीएसयूज की संख्या		4	3	1	8
पीएसयूज[19] की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं		76	8	5	89
बकाया लेखाओं की संख्या		803	46	12	861
बकाया का ब्यौरा	(i) परिसमापन में	94	8	-	102
	(ii) अकार्यरत	527	24	-	551
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये	39	12	-	51
	(iv) अन्य	143	2	12	157
'अन्य श्रेणी' के विरुद्ध बकाया का आयुवार विश्लेषण	एक वर्ष (2018-19)	7	-	2	9
	दो वर्ष (2017-18 एवं 2018-19)	10	2	4	16
	तीन वर्ष या ज्यादा	126	-	6	132

[18] *परिशिष्ट–3.1* की क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 6 एवं 21 जोकि (i) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, (ii) नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, (iii) अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, (iv) आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (v) अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं (vi) उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद ।

[19] इसमें 10 पीएसयूज, जिनके लेखे परिसमापन किये जाने की तिथि तक बकाया थे, शामिल हैं।

89 राज्य पीएसयूज जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिये गये थे, में से 27 पीएसयूज में जीओयूपी ने ₹ 3,685.90 करोड़ (पूँजीः ₹ 48.84 करोड़, ऋणः ₹ 1,161.24 करोड़ एव अनुदानः ₹ 2,475.82 करोड़) निवेश किया था जबकि शेष 62 पीएसयूज में लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान पीएसयूवार राज्य सरकार द्वारा निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व उनके प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के सबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

3.9 लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब, कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सम्बंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में परिणित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये इन 89 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की राज्य की जीडीपी में वास्तविक योगदान एवं बकाया अवधि के दौरान अर्जित लाभ/हानि सहित इनकी लाभप्रदता का आंकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं एवं निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन में किया गया जिस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया था।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। कम्पनियों द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये तथा लेखाओं के बकाये की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिये।

अकार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

3.10 31 मार्च 2019 तक 43 राज्य पीएसयूज अकार्यरत कम्पनियां थीं, जिनमें कुल निवेश ₹ 1,771.82 करोड़ जिनमें पूँजी के रूप में (₹ 1,049.30 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 722.52 करोड़) था। प्रमुख निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 286.75 करोड़), नंदगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 232.18 करोड़) में था। अकार्यरत पीएसयूज में सम्मिलित 12 पीएसयूज परिसमापन के अन्तर्गत थे।

इन 31 अकार्यरत पीएसयूज के सम्बंध में सरकार को इनके समापन हेतु उचित निर्णय लेना चाहिये।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

3.11 छः सांविधिक निगमों में से केवल एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) ने वर्ष 2018–19 के लिए अपने लेखे 31 दिसंबर 2019 तक प्रस्तुत किये थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कहलाते हैं। सम्बंधित अधिनियमों जिनके अन्तर्गत इन निगमों का संचालन होता है, के प्रावधानों के अनुसार एसएआर को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि विधायी प्रावधानों जिनके अन्तर्गत

एसएआर को अनिवार्य रूप से राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, के बावजूद इन निगमों के एसएआर एक से चार वर्षों तक राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जैसा कि **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	निगम का नाम	एसएआर को राज्य विधानमंडल में रखने के प्रावधान हेतु अधिनियम की प्रासंगिक धारा	वर्ष जहाँ तक के एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखी गई	एसएआर के प्रस्तुतीकरण की तिथि	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखी गई	
					लेखाओं का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1952 की धारा 33 (4)	2012–13	12 फरवरी 2016	2013–14 2014–15 2015–16 2016–17	2 सितम्बर 2015 24 मार्च 2017 18 जून 2019 23 सितंबर 2019
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1952 की धारा 37 (7)	2011–12	19 नवम्बर 2014	2012–13	12 नवम्बर 2015
3	उत्तर प्रदेश वन निगम	उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 के अध्याय–IV का खंड 6 (ई)	2015–16	14 फरवरी 2019	2016–17 2017–18	20 नवम्बर 2018 19 सितंबर 2019
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 का अध्याय–V	2016–17	27 फरवरी 2020	2017–18	8 जुलाई 2020
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	यू.पी., जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 50 (5) (ए)	2007–08	4 दिसंबर 2012	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसंबर 2013 25 मई 2017
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11)	2012–13	29 अगस्त 2016	2013–14 2014–15 2015–16	20 जुलाई 2016 27 जून 2017 30 अप्रैल 2019

स्रोतः जीओयूपी की वेबसाइट एवं पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

3.12 इस अध्याय में शामिल किए गए 24 राज्य पीएसयूज की 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखाओं[20] के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणामों को ***परिशिष्ट–3.1*** में उल्लिखित किया गया है।

पीएसयूज को सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 13,127.56 करोड़ था जिसमें पूँजी ₹ 5,295.96 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 7,831.60 करोड़ शामिल थे ***(परिशिष्ट–3.3)***। इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 पीएसयूज में ₹ 4,991.35 करोड़ का निवेश किया है जिसमें पूँजी ₹ 2,217.33 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 2,774.02 करोड़ शामिल है।

इस अध्याय में शामिल किए गए ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2016–17 से 2018–19 तक की अवधि में जीओयूपी के निवेश की संचयी स्थिति को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

[20] वर्ष 2016–17 से 2018–19 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे।

चार्ट 3.2: पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में जीओयूपी का कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

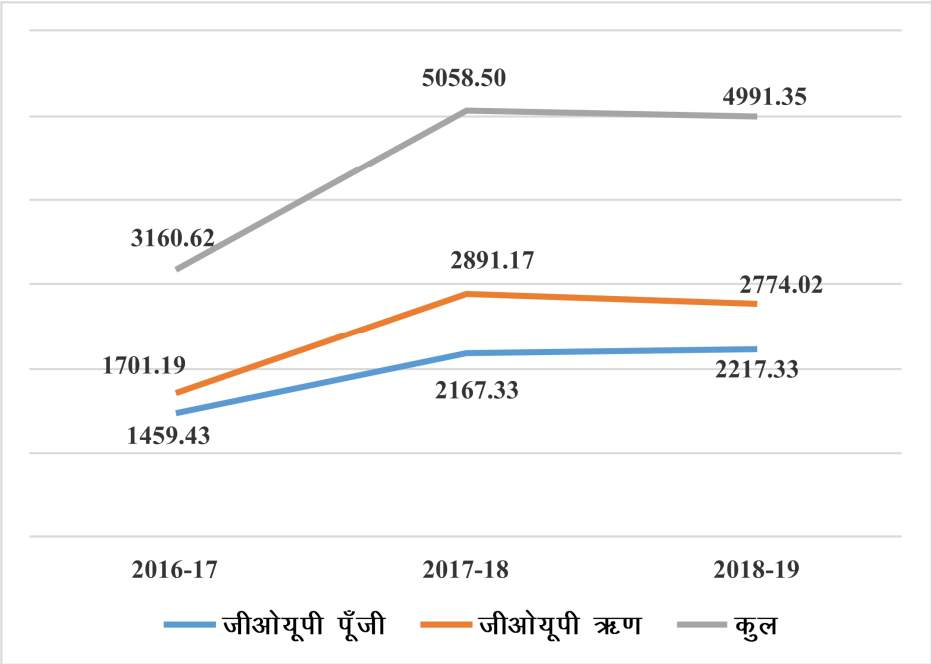

कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल के सापेक्ष पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि एक निश्चित वर्ष में हुए लाभ अथवा हानि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन की माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयर धारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभदायकता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

3.13 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान 24 कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि[21] की समग्र स्थिति **चार्ट–3.3** में दर्शायी गई है।

चार्ट 3.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान 24 कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि

(₹ करोड़ में)

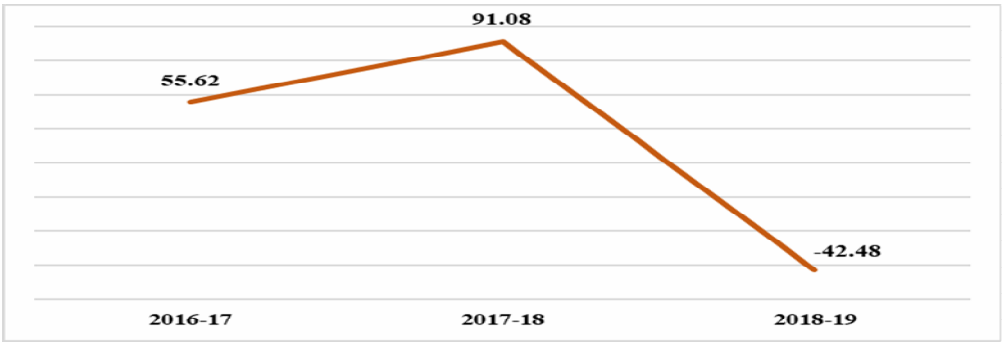

[21] आँकड़े सम्बंधित वर्ष के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

3.13.1 इन कार्यरत पीएसयूज द्वारा वर्ष 2016–17 में ₹ 55.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया जो वर्ष 2018–19 में घटकर ₹ 42.48 करोड़ की हानि हो गयी। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन 24 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 15 पीएसयूज ने ₹ 374.35 करोड़ का लाभ कमाया एवं 09 पीएसयूज ने ₹ 416.83 करोड़ की हानि वहन की जिसका विवरण ***परिशिष्ट–3.1*** में दिया गया है। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 118.11 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 80.38 करोड़) थे। शीर्ष हानि अर्जित करने वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 317.07 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 72.11 करोड़) थे। 2018–19 के दौरान इन पीएसयूज के क्षेत्रवार लाभ का विवरण नीचे **तालिका 3.8** में सारांकित किया गया है।

तालिका 3.8: पीएसयूज की क्षेत्रवार लाभदायकता

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले पीएसयूज की संख्या	कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में)	कर के बाद कुल लाभ के लिए लाभ प्रतिशत
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	11	-113.15	-
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	11	79.01	-
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	2	-8.34	-
योग	**24**	**-42.48**	**-**

स्रोतः पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

2018–19 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले 15 पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज एकाधिकारी श्रेणी से, नौ पीएसयूज निश्चित आय स्रोत श्रेणी से एवं एक पीएसयू प्रतिस्पर्धी वातावरण से सम्बंधित है। इस प्रकार इन पीएसयूज का लाभ, या तो एकाधिकार का लाभ या बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज, आदि निश्चित आय स्रोत के कारण है। आगे, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले एक पीएसयू को 2018–19 के दौरान ₹ 11.69 करोड़ का नुकसान हुआ।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

3.14 15 राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, की लाभदायकता की गणना करने के लिए कुल आय एवं इनके निवेश का विश्लेषण किया गया है। निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद की गई है जिससे जीओयूपी द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल पर पहुंचा जा सके। राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना राज्य सरकार द्वारा परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण तथा राजस्व अनुदान/सब्सिडी के रूप में इन कम्पनियों में 1999–2000 से 31 मार्च 2019 तक के निवेश पर की गयी थी। 1999–2000 से 2018–19 की अवधि के दौरान, वर्ष 2005–06 से 2012–13 में इन पीएसयूज का निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था। इसलिए, इन वर्षों के लिए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई है तथा इसे पीवी के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्नलिखित धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा परिचालन/प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण और अनुदान/सब्सिडी को निवेश के उद्देश्य के रूप में माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां पीएसयू को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा लिया गया है और इसे उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।

- राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सम्बंधित वित्तीय वर्ष[22] के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार इसे सरकार द्वारा किये गये निवेश पर अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल दर के रूप में माना गया है।

3.15 इन 15 राज्य पीएसयूज में 2000–01 से 2018–19 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण एवं राजस्व अनुदान/सब्सिडी के निवेश की पीसयूज–वार स्थिति ***परिशिष्ट–3.6*** में इंगित की गई है। आगे इन राज्य पीएसयूज में उसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति **तालिका 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.9: 2000–01 से 2018–19 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान जीओयूपी द्वारा दिया गया अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+ iv+v	vii=ii+vi	viii	ix = vii* (1+ viii/ 100)	x =vii*viii /100	xi
1999-2000 तक		546.77	76.10	1.05	623.92	623.92	9.50	683.19	59.27	-191.61
2000-01	683.19	0.00	17.75	1.05	18.80	701.99	9.58	769.24	67.25	-162.10
2001-02	769.24	0.00	-33.53	1.05	-32.48	736.76	9.49	806.68	69.92	-172.76
2002-03	806.68	10.15	18.75	1.05	29.95	836.63	7.22	897.04	60.40	-130.24
2003-04	897.04	0.00	6.25	1.05	7.30	904.34	9.13	986.90	82.57	-204.84
2004-05	986.90	4.59	11.17	1.05	16.81	1,003.71	9.47	1,098.76	95.05	-9.74
2005-06	1,098.76	0.00	68.54	1.45	69.99	1,168.75	6.49	1,244.61	75.85	89.00
2006-07	1,244.61	47.00	82.22	1.45	130.67	1,375.28	6.74	1,467.97	92.69	103.65
2007-08	1,467.97	0.00	0.00	0.80	0.80	1,468.77	6.43	1,563.21	94.44	132.53
2008-09	1,563.21	13.88	-0.44	0.65	14.09	1,577.30	6.29	1,676.51	99.21	179.38
2009-10	1,676.51	0.00	0.00	4.08	4.08	1,680.59	6.16	1,784.12	103.52	106.92
2010-11	1,784.12	0.05	51.52	4.78	56.35	1,840.47	6.67	1,963.23	122.76	46.57
2011-12	1,963.23	39.52	33.11	2.00	74.63	2,037.86	6.62	2,172.76	134.91	64.54
2012-13	2,172.76	6.00	9.88	2.00	17.88	2,190.64	6.73	2,338.08	147.43	35.42
2013-14	2,338.08	23.43	-0.94	0.00	22.49	2,360.57	6.43	2,512.35	151.78	-149.89
2014-15	2,512.35	211.14	175.61	2.00	388.75	2,901.10	6.40	3,086.77	185.67	-173.10
2015-16	3,086.77	633.47	161.79	2.00	797.26	3,884.03	6.35	4,130.67	246.64	-191.58
2016-17	4,130.67	498.38	654.72	7.49	1,160.59	5,291.26	6.82	5,652.12	360.86	-125.51
2017-18	5,652.12	132.95	-115.49	9.89	27.35	5,679.47	6.54	6,050.91	371.44	-104.65
2018-19	6,050.91	50.00	129.97	20.17	200.14	6,251.05	6.50	6,657.36	406.32	-233.82
योग	**40,885.12**	**2,217.33**	**1,346.98**	**65.06**	**3,629.37**					

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 1999–2000 तक ₹ 623.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018–19 के अन्त में ₹ 3,629.37 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000–01 से 2018–19 की

[22] सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए = ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100।

अवधि के दौरान पूँजी (₹ 1,670.56 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण/अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,334.89 करोड़) के रूप में धनराशि का निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक निवेश की गई धनराशियों की पीवी ₹ 6,657.36 करोड़ आती है। 2000–01 से 2004–05 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज को लगातार समग्र हानि हुई लेकिन 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज ने निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित किया। हालाँकि, वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक इन पीएसयूज ने लाभ अर्जित किया, अपितु इनका कुल लाभ, पीएसयूज में किये गए निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 से पुनः इन पीएसयूज को लगातार समग्र हानि हुई।

पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल

3.16 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[23] वित्तीय निष्पादन का माप है, जिसकी गणना शुद्ध आय को शेयरधारकों की पूँजी से विभाजित करके की जाती है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान पीएसयूज की क्षेत्रवार आरओई **तालिका 3.10** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.10: पीएसयू की क्षेत्रवार पूँजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	2016–17 के दौरान आरओई		2017–18 के दौरान आरओई		2018–19 के दौरान आरओई	
		पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
1	एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	9	-0.12	11	0.25	11	-1.26
2	निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	11	14.76	11	14.43	11	14.49
3	प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	2	-	2	-	2	-
योग		**22**[24]	**0.72**	**24**	**1.08**	**24**	**-0.46**

प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र के पीएसयूज का कर पश्चात लाभ एवं शेयरधारकों की निधि दोनों नकारात्मक थी, इसलिए इनकी आरओई की गणना नही की जा सकी। एकाधिकारी अवसर के बावजूद 2016–17 एवं 2018–19 के दौरान एकाधिकारी वातावरण वाले पीएसयूज की आरओई नकारात्मक थी जबकि निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज का कर पश्चात लाभ एवं शेयरधारकों की निधि 2016–17 से 2018–19 की अवधि में सकारात्मक रही।

एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों के पीएसयूज की आरओई की तुलना **तालिका 3.11** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.11: एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों के पीएसयूज की आरओई की तुलना

वर्ष	एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत पीएसयूज		प्रतिस्पर्धी पीएसयूज	
	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
2016-17	20	0.79	2	-
2017-18	22	1.13	2	-
2018-19	22	-0.36	2	-

[23] पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी)*100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – आस्थगित आयगत व्यय।

[24] दो पीएसयूज आगरा स्मार्ट सिटी एवं अलीगढ़ स्मार्ट सिटी को 2017–18 में निगमित किया गया।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

3.17 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभदायकता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[25] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान 24 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल पीएसयूज) के आरओसीई का विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्षवार क्षेत्रवार ब्यौरा	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2016-17			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	93.63	10,853.78	0.86
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	95.39	621.39	15.35
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-2.38	223.13	-1.07
योग	**186.64**	**11,698.30**	**1.60**
2017-18			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	119.27	13,288.24	0.90
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	98.14	674.08	14.56
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-2.38	223.13	-1.07
योग	**215.03**	**14,185.45**	**1.52**
2018-19			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	-10.74	15,966.16	-0.07
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	98.54	674.70	14.61
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-2.38	223.13	-1.07
योग	**85.42**	**16,863.99**	**0.51**

यह देखा गया कि 2017–18 एवं 2018–19 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,783.00 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 998.51 करोड़) में नियोजित पूँजी में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 2016–17 के दौरान कुल आरओसीई 1.60 प्रतिशत से घटकर 2018–19 के दौरान 0.51 प्रतिशत हो गयी। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दो पीएसयूज[26] की आरओसीई 2016–17 से 2018–19 के दौरान नकारात्मक थी क्योंकि सभी तीन वर्षों में ईबीआईटी नकारात्मक थी। आगे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में 2016–17 से 2018–19 अवधि के दौरान एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) की नियोजित पूँजी भी नकारात्मक थी।

हानि वहन करने वाले पीएसयूज

3.18 इस अध्याय में शामिल किए गए 24 पीएसयूज में से छः से नौ पीएसयूज को वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान हानि हुई थी। इन पीएसयूज द्वारा 2016–17 के दौरान उठायी गया हानि ₹ 360.03 करोड़ से बढ़कर 2018–19 में ₹ 416.83 करोड़ हो गयी, जैसा कि **तालिका 3.13** में दिया गया है।

[25] नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – आस्थगित आयगत व्यय।

[26] उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यू. पी. लिमिटेड।

तालिका 3.13: 2016–17 से 2018–19 के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या

वर्ष के दौरान	हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि/लाभ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[27] (₹ करोड़ में)
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज				
2016-17	4	343.38	-1,209.34	1,085.48
2017-18	6	348.50	-1,242.10	1,646.49
2018-19	6	397.53	-1,366.36	2,268.11
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज				
2016-17	1	4.96	-12.69	-7.78
2017-18	2	7.61	10.24	18.15
2018-19	2	7.61	10.24	18.15
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज				
2016-17	1	11.69	-260.77	-167.53
2017-18	1	11.69	-260.77	-167.53
2018-19	1	11.69	-260.77	-167.53

वर्ष 2018–19 के दौरान 09 पीएसयूज द्वारा उठायी गयी कुल हानि ₹ 416.83 करोड़ में से ₹ 317.07 करोड़ की हानि केवल एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश जल निगम), जोकि एकाधिकारी क्षेत्र की है और बाजार प्रतिस्पर्धा में नहीं है, में हुई। आगे, दो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले पीएसयूज में से केवल एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) ने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर हानि उठायी, हालाँकि इन दोनों पीएसयूज में संचित हानियाँ हैं। इससे इन पीएसयूज की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पीएसयूज के निवल मूल्य का क्षरण

3.19 निवल मूल्य प्रदत्त अंश पूँजी एवं मुक्त संचय व अधिशेष के योग से संचित हानि एवं आस्थगित आयगत व्यय को घटाने के पश्चात है।

31 मार्च 2019 को कुल 24 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से 12 पीएसयूज की ₹ 3,057.98 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इन 12 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने वर्ष 2018–19 में ₹ 416.38 करोड़ की हानि उठायी। इनमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र का एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) शामिल था, जिसने वर्ष के दौरान ₹ 11.69 करोड़ की हानि उठायी। आगे, चार पीएसयूज ने वर्ष 2018–19 में हानि नहीं उठायी, जबकि उनके पास ₹ 1,410.99 करोड़ की संचित हानि थी।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दोनों पीएसयूज को शामिल करके सात ऐसे पीएसयूज हैं जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण उनकी संचित हानि से हो गया था तथा 31 मार्च 2019 को इनमें पूँजी निवेश ₹ 1,162.17 करोड़ के विरुद्ध इनका निवल मूल्य (–) ₹ 1,686.44 करोड़ हो गया था। इसमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दो पीएसयूज में पूँजी निवेश ₹ 228.82 करोड़ के विरुद्ध (–) ₹ 398.14 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य शामिल है। यद्यपि उन सात पीएसयूज जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण हो गया था में से तीन पीएसयूज ने 2018–19 के दौरान ₹ 43.24 करोड़ का लाभ कमाया था, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने एकाधिकारी लाभ के कारण अपने अर्जित लाभ ₹ 39.85 करोड़ की वजह से था।

[27] निवल मूल्य का तात्पर्य है कि प्रदत्त शेयर पूँजी एवं मुक्त संचय और अधिशेष से संचित हानि एवं आस्थगित आयगत व्यय घटाया। मुक्त संचय का तात्पर्य संचय जो लाभ एवं अंश प्रीमियम खाता से निकाला गया हो लेकिन इसमे परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाया गया संचय तथा प्रतिलेखित मूल्यह्रास प्रावधान शामिल नहीं होता है।

31 मार्च 2019 को सभी सात पीएसयूज जिनकी पूँजी का क्षरण हो गया था, की सरकारी बकाया ऋण की राशि ₹ 1,729.79 करोड़ थी।

लाभांश का भुगतान

3.20 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अक्टूबर 2002) जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत शेयर पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है। लाभांश के भुगतान से सम्बंधित 24 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से 14 में जहाँ राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया था, उसे **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष	कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज[28]		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5*100)
2016-17	14	1,459.43	8	109.18	7	3.13	2.87
2017-18	14	2,167.33	3	1.48	2	0.07	4.73
2018-19	14	2,217.33	1	0.05	-	-	-

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज की संख्या एक से आठ के मध्य थी। इसी अवधि में जीओयूपी को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या शून्य से सात[29] के मध्य थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2016–17 के 2.87 प्रतिशत से 2017–18 में बढ़कर 4.73 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2018–19 में लाभ अर्जित करने वाले किसी भी पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान नहीं किया गया।

पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

3.21 2016–17 से 2018–19 के दौरान पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण किया गया, जिससे पीएसयूज की क्षमता का आंकलन किया जा सके कि इन पीएसयूज ने सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जो ऋण लिए हैं उससे सम्बंधित भुगतान में सक्षम हैं। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

3.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी पीएसयूज के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना पीएसयूज के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, पीएसयूज की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि पीएसयूज अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के

[28] पीएसयूज जिन्होने अद्यतन लेखाओं के अनुसार वर्ष के लिए लाभ कमाया और उनमें कोई भी संचित हानि नही थी।

[29] *परिशिष्ट–3.1* की क्रम संख्या 10, 12, 13, 16, 17, 18 एवं 20।

लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा था। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज जिनमें 2016–17 से 2018–19 की अवधि में बकाया ऋण थे से सम्बंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 3.15** में दिया गया हैं।

तालिका 3.15: ऋण पर ब्याज के दायित्व वाले कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	पीएसयूज की संख्या जिनमें ऋण पर ब्याज का दायित्व है	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2016-17	6	78.89	-116.06	4	2
2017-18	7	78.23	-65.92	4	3
2018-19	7	83.19	-238.38	3	4

2018–19 के दौरान जिन सात राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋणों का दायित्व था उनमें से तीन पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था एवं चार पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह दर्शाता है कि ये चार पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर सके।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

3.23 31 मार्च 2019 तक जीओयूपी द्वारा पाँच पीएसयूज को प्रदान किए गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 704.39 करोड़ की ब्याज की राशि बकाया थी। जीओयूपी ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण नीचे **तालिका 3.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	31 मार्च 2019 को बकाया ब्याज (₹ करोड़ में)	एक वर्ष से कम बकाया (₹ करोड़ में)	एक से तीन वर्षों का बकाया (₹ करोड़ में)	तीन वर्षों से अधिक का बकाया (₹ करोड़ में)
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	604.44	13.44	40.32	550.68
2	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	47.14	2.20	4.41	40.53
3	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7.00	0.00	7.00	0.00
4	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	16.43	0.00	6.08	10.35
5	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	29.38	1.75	0.00	27.63
योग		**704.39**	**17.39**	**57.81**	**629.19**

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

3.24 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान 25 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 35 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 27 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 3.17** में दिया गया है।

तालिका 3.17: कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	13	379.22	12	132.71	12	162.85
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.18	2	0.71	4	32.90
3.	हानि में वृद्धि	5	7.23	4	352.13	4	30.23
4.	हानि में कमी	1	0.18	3	5.05	1	0.01
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	8	121.18	12	718.68	12	385.17
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	9	124.80	6	159.23	10	159.94

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2018–19 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण–पत्र प्रदान किये एवं उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के वर्ष 2010–11 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने डिसक्लेमर/कोई राय नहीं दिया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड के तीन वर्षों के लेखाओं अर्थात वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 पर प्रतिकूल राय दी गयी थी। पीएसयूज द्वारा लेखाकंन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि 18 लेखाओं में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाकंन मानकों के अनुपालन नहीं करने के 80 मामले इंगित किये गये। सीएजी ने भी तीन लेखाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, वित्त वर्ष 2013–14 के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए एवं इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए प्रतिकूल प्रमाण–पत्र (वित्तीय विवरणों द्वारा सत्य और निष्पक्ष राय नहीं प्रस्तुत की गयी) निर्गत किए गए थे।

3.25 राज्य में छः सांविधिक निगम अर्थात (i) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीएईवीपी), (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) (iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), (iv) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), (v) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (यूपीएसडब्लूसी) और (vi) उत्तर प्रदेश वन निगम हैं। यूपीएसडब्लूसी एवं यूपीएफसी को छोड़कर सीएजी इन सांविधिक निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

छः कार्यरत सांविधिक निगमों में से पाँच निगमों (यूपीएसडब्लूसी, यूपीएईवीपी, यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) ने वर्ष 2012–13 से 2018–19 के लिए दस वार्षिक लेखे 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान प्रेषित किये। इनमें से पाँच लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षक ने यूपीएसडब्ल्यूसी के वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण–पत्र दिए थे। इसके अतिरिक्त, सीएजी ने वर्ष 2017–18 के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम के लेखाओं पर सत्य एवं निष्पक्ष प्रमाण पत्र तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के लेखाओं पर सत्य एवं निष्पक्ष प्रमाणपत्र नहीं दिया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 3.18** में दिया गया है।

तालिका 3.18: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	5	7.27	3	26.33	3	65.90
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	2.09	3	5.61
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	5	1,114.38	-	-	1	236.36
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	4	1,472.19	1	0.71	2	5.86

स्रोतः सांविधिक निगमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

3.26 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को, उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को निर्गत किया गया था। दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)। इन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 13.88 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

3.27 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यकारी से उनकी उपयुक्त एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के दो से तीन माह के अन्दर, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे **तालिका 3.19** में दी गयी है।

तालिका 3.19: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तर		पीए/प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011-12	16 सितंबर 2013	1	6	0	0
2012-13	20 जून 2014	1	11	0	0
2013-14	17 अगस्त 2015	1	9	0	0
2014-15	8 मार्च 2016	2	4	2	0
2015-16	18 मई 2017	4	6	2	0
2016-17	7 फरवरी 2019	2	3	1	2
2017-18	21–22 अगस्त 2020	-	8	-	8
योग		**11**	**47**	**5**	**10**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

उपरोक्त से यह देखा जा सका कि 47 प्रस्तरों एवं 11 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, सात विभागों[30] से सम्बंधित दो प्रस्तरों एवं पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिन पर टिप्पणी की गई थी, की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी (सितम्बर 2020) प्रतीक्षित थी।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श

3.28 30 सितम्बर 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयूज) में सम्मिलित एवं कोपू द्वारा विचार–विमर्श किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों की स्थिति नीचे **तालिका 3.20** में दी गयी है।

तालिका 3.20: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाएं/प्रस्तर जिन पर 30 सितम्बर 2020 तक विचार–विमर्श किया गया

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीए)/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		पीए एवं प्रस्तर जिन पर चर्चा पूर्ण हुई	
	पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
1982-83 से 2010-11	76[31]	475	56	417
2011-12	1	6	0	5
2012-13	1	11	0	7
2013-14	1	9	0	7
2014-15	2	4	0	3
2015-16	4	6	0	0
2016-17	2	3	0	1
2017-18	-	8	-	-
योग	**87**	**522**	**56**	**440**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.29 कोपू के आन्तरिक कार्य नियमावली में प्रधान महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को केवल कोपू द्वारा एटीएन पर विचार–विमर्श के समय उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए, एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

[30] वन विभाग, वित्त विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, शहरी विकास विभाग तथा परिवहन विभाग।

[31] इसमें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर स्टैंडअलोन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रदिवेदन शामिल है।